

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ ज्येष्ठ 7, 1936

No. 284]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

सा.का.नि.364(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 98 (अ) तारीख 19 फरवरी, 2014 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 19 फरवरी, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (8 वां संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उपनियम 115ग के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"115घ. उपयोग किए जा रहे यानों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट- भारत में रजिस्ट्रीकृत उपयोग किए जा रहे यानों में संकर वैद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट अनुज्ञात किया जाएगा जहां :

(क) उपयोग किए जा रहे, रिट्रोफिटमेंट के लिए आशयित यान, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे, अर्थात् :-

- (i) यह भारत स्टेज II या पश्चात्तवर्ती उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगे ;
- (ii) यह एम 1, एन 1 या एम 2 प्रवर्ग के होंगे जिनमें जीवीडब्ल्यू 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ;
- (iii) इनमें या तो गैसोलीन या डीजल ईंधन का उपयोग किया जाएगा ;
- (iv) इन्हें पूर्व में रिट्रोफिट नहीं किया गया था ; और
- (v) इनमें किसी अन्य वैकल्पिक ईंधन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) रिट्रोफिट किए गए यानों में बहु उत्सर्जन मानक तत्स्थानी पेट्रोल या डीजल यानों में प्रचलित के समान ही होंगे जैसे कि उक्त यानों के विनिर्माण के वर्ष को लागू होते हैं।

(ग) रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् यान समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-123:2013 की अपेक्षाओं को उस समय तक पूरा करेंगे जिस समय तक तत्स्थानी भारत मानक ब्यूरो विनिर्दिष्टियों को भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु संकर वैद्युत प्रणाली किट अनुमोदन के प्रयोजन के लिए विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाण पत्र की विधिमानता उसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी।

(घ) अनुमोदित संकर वैद्युत प्रणाली किट की किस्म का प्रतिष्ठापन संकर वैद्युत प्रणाली किट के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रतिष्ठापक द्वारा ही किया जाएगा और प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक के दायित्वों तथा समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-123:2013 में दी गई व्यवहार संहिता का तब तक पालन करेगा जब तक कि तत्स्थानी बीआईएस विनिर्दिष्टियां, भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित नहीं कर दी जाती हैं"।

[फा. सं. आरटी-11036/60/2013-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 345(अ), तारीख 19 मई, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2014

G.S.R. 364(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required under sub-section (1) of section 52 read with section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 98(E) dated 19th February, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section(i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 19th February, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles **(8th Amendment)** Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 115C, the following rule shall be inserted, namely:-

“115D. Retrofitment of hybrid electric system kit to in-use vehicles.- Retrofitment of hybrid electric system kit to in-use vehicles registered in India shall be permitted if-

- (a) the in-use vehicle intended for retrofitment complies with following conditions, namely:-
 - (i) it conforms to Bharat Stage-II or subsequent emission norms;
 - (ii) it belongs to category M1 or category M2 or category N1 with Gross Vehicle Weight not exceeding 3500 kg.
 - (iii) it is fuelled by either gasoline or diesel fuel;
 - (iv) it was not retrofitted earlier;
 - (v) it will not be fuelled by any other alternate fuel;
- (b) mass emission standards for vehicles so retrofitted shall be the same as prevalent for corresponding petrol or diesel vehicles as applicable for the year of manufacture of the said vehicle;
- (c) the vehicle, after retrofitment, shall meet the requirement of AIS-123 : 2013 as amended from time to time till such time as corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):

Provided that for the purpose of hybrid electric system kit approval, kit manufacturer or supplier shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126 and the validity of such certificate shall be three years from the date of its issue;

- (d) the installation of type approved hybrid electric system kit shall be done only by an installer authorised by the hybrid electric system kit manufacturer or supplier, and the installer shall adhere to the installer's responsibilities and the Code of Practice detailed in the AIS-123 : 2013, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986."

[F.No.RT-11036/60/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt.Secy.

Note: The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* G.S.R.345 (E) dated 19th May, 2014.